

राजस्थान सरकार
गृह (मुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(3)स्था./गृह-10/16

जयपुर, दिनांक 29.09.19

आदेश

निम्न उप/सहायक निदेशक अभियोजन के स्थानान्तरण प्रशासनिक तौर पर लोकहित में सुरक्षा प्रभाव से किये जाते हैं :

क्र.सं.	नाम अधिकारी	कहाँ से	कहाँ को	वि०वि०
1	श्री अशोक कुमार जैन	उप निदेशक अभियोजन (एसीबी), जयपुर	उप निदेशक अभियोजन, राज. उच्च न्यायालय, जयपुर	श्री बन्नावत के स्थान पर
2	अशोक कुमार बन्नावत	उप निदेशक अभियोजन, राज. उच्च न्यायालय, जयपुर	अतिरिक्त निदेशक (पी) अभियोजन निदेशालय, जयपुर (पद के विरुद्ध)	श्री महेन्द्र कुमार के स्थान पर
3	श्री महेन्द्र कुमार	अतिरिक्त निदेशक (पी) अभियोजन निदेशालय, जयपुर (पद के विरुद्ध)	उप निदेशक अभियोजन (एसीबी), जयपुर	श्री अशोक जैन के स्थान पर
4	श्री एहसान अहमद	विशिष्ट लोक अभियोजक, एससी/एसटी न्यायालय, बारां	विशिष्ट लोक अभियोजक, न्याया. महिला उत्पीड़न, कोटा	श्री शर्मा के स्थान पर
5	श्री नित्येन्द्र कुमार शर्मा	विशिष्ट लोक अभियोजक, न्याया. महिला उत्पीड़न, कोटा	विशिष्ट लोक अभियोजक, एससी/एसटी न्यायालय, बारां	श्री अहमद के स्थान पर
6	श्री गिराज प्रसाद जोनवाल	सहायक निदेशक अभियोजन, भ्र0नि0ब्यूरो, भरतपुर	सहायक निदेशक अभियोजन, करौली	रिक्त पद
7	श्री श्रीकांत सिंह	सहायक निदेशक अभियोजन, बारां	सहायक निदेशक अभियोजन, कोटा	श्री जौहरी स्थान पर
8	श्री राजकुमार जौहरी	सहायक निदेशक अभियोजन, कोटा	सहायक निदेशक अभियोजन, बारां	श्री श्रीकांत सिंह स्थान पर
9	श्री अब्दुल समद चिश्ती	स0नि0अ0 PCPNDT, जयपुर चिकित्सा एवं स्वा० विभाग मुख्या.	सहायक निदेशक अभियोजन, (सतर्कता) निदेशालय, जयपुर	श्री प्रदीप अग्रवाल के स्थान पर
10	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	सहायक निदेशक अभियोजन, (सतर्कता) निदेशालय, जयपुर	सहायक निदेशक अभियोजन, (मुख्या.) निदेशालय, जयपुर	श्री विनोद शर्मा के स्थान पर
11	श्री विनोद कुमार शर्मा	सहायक निदेशक अभियोजन, (मुख्या.) निदेशालय, जयपुर	स0नि0अ0 PCPNDT, जयपुर चिकित्सा एवं स्वा० विभाग मुख्या.	श्री चिश्ती के स्थान पर

संबंधित उप निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुदित/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

29/9

क्र.सं.	अधिकारी
.	श्री ति
.	.
.	.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
6. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
7. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

09
29/11/19
(एस.एन.व्यास)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी